03-भू०अ०ना०(2)राज्यया०(खगडाया)-69/2020(खड–1)

I/54306/2023

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

## आदेश

बंदोबस्त पदाधिकारी, खगड़िया के पत्रांक 201–1 दिनांक 19.07.2022 द्वारा यह सूचित किया गया है कि मो0 आकिब आलम, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN03411) दिनांक 12.05.2022 से लगातार अनुपस्थित हैं। शिविर प्रभारी द्वारा इनसे अनुपस्थित रहने के संबंध में स्पष्टीकरण की मांग की गयी, परन्तु मो0 आलम द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया है। इस संबंध में बंदोबस्त कार्यालय स्तर से भी स्पष्टीकरण मांगा गया, जिसका तामिला निबंधित डाक एवं वाट्सेप से कराया गया। मो0 आलम द्वारा वाट्सेप देखने के बावजूद भी कोई उत्तर नहीं दिया गया है। मो0 अलाम के दिनांक 12.05.2022 से लगातार अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध सेवा समाप्ति की अनुशंसा की गयी है।

बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के पत्रांक I/33679 दिनांक 29.09.2022 द्वारा आरोपित से सेवा समाप्ति के विरूद्ध पत्र प्राप्ति के 03 दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण की मांग की गयी है। आरोपित द्वारा लगभग 03 महीने की लम्बी अवधि बीत जाने के बावजूद भी अपना स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया है।

इसी बीच बंदोबस्त पदाधिकारी, खगड़िया के पत्रांक 240–II दिनांक 29.07.2022 द्वारा यह सूचना दी गयी कि आरोपित द्वारा अपने घर के कुछ विशेष परिस्थिति को दर्शात हुए दिनांक 08.07.2022 को दिनांक 06.05.2022 से त्याग पत्र स्वीकृत करने हेतु अनुरोध किया गया है।

बंदोबस्त पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा की गयी अनुशंसा एवं प्राप्त पत्र तथा संचिका में रक्षित अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अवलोकनोपरांत पाया गया कि आरोपित द्वारा लगातार अनुपस्थित रहने के पश्चात् घर के विशेष परिस्थिति के कारण त्याग पत्र दिया गया है, परन्तु समर्पित त्याग पत्र में विशेष परिस्थितियों का उल्लेख नहीं किया गया है और न ही इस संबंध में कोई उचित कारण दिया गया है। चूंकि विशेष सर्वेक्षण कार्य एक समयबद्ध कार्यक्रम है, जिसे निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जाना, इसके ससमय निष्पादन हेतु नियोजित विशेष सर्वेक्षण कर्मियों के प्रशिक्षण पर सरकार द्वारा राशि व्यय की गयी है एवं उन्हें सर्वे कार्य हेतु उपयुक्त बनाया गया है। आरोपित के लम्बी अवधि से अनुपस्थित रहने के कारण सर्वे जैसा महत्वपूर्ण कार्य बाधित हुआ है। ऐसी स्थिति में इनका त्याग पत्र स्वीकृत किया जाना उचित नहीं होगा बल्कि इनके इस तरह के कृत्य से अन्य कर्मियों पर पड़ने वाले कुप्रभाव के दृष्टिगत इनका संविदा नियोजन समाप्त किया जाना ही उचित होगा।

अतः मो0 आकिब आलम, विशेष सर्वेक्षण अमीन (आई0डी0 सं0 AEN03411) का त्याग पत्र अस्वीकृत करते हुए **"बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 के नियम – 8(4)"** में वर्णित प्रावधान के तहत इनका संविदा अनुबंध रद्द किया जाता है।

Signed by Jai Singh
Date: 01-02-2023 11:56:18
निदेशक
भू–अभिलेख एवंपरिमाप

**प्रतिलिपि :–**

1. बंदोबस्त पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. संबंधित विशेष सर्वेक्षण अमीन को सूचनार्थ प्रेषित।
3. श्रीमती सरीता कुमारी, प्रोग्रामर को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।